बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

आदेश सं०– वन विविध- 19/12 – 3585 दिनांक– 01.11.2017

राज्य में व्यापार आरम्भ करने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने हेतु उद्योग विभाग के द्वारा Business Reform Action Plan (BRAP), 2017 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन विभाग से संबंधित 24 (चौबीस) अनुशंसाएँ की गई हैं। इन अनुशंसाओं में कतिपय अनुशंसाएँ पर्यावरण एवं वन विभाग के संदर्भ में लागू नहीं होने (Not applicable) की सूचना प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार द्वारा दी गई है, ये अनुशंसाएँ निम्नवत् हैः–

क्र० सं०	अनुशंसा सं०	अनुशंसा	Not applicability का आधार
1	2	3	4
1.	106	Design and implement a system for indentifying establishments that need to be inspected based on computerized risk assessment.	Since in all the cases of tree felling, site inspection of all establishments is a must, hence no computerized risk assessment is required.
2.	108	Allow establishments to view and download submitted inspection reports of at least past two years.	Inspection reports of tree fellings are marked for department's internal use in taking decisions, hence the recommendation is not applicable in Environment and Forest Department.
3.	110	Mandate that the same inspector will not inspect the same establishment twice consecutively.	Normally inspection in cases of tree felling is an one time affair and thus there is no need to revisit the establishment for the same purpose.
4.	229	Conduct a survey of all industrial areas of state and create a list of plots with trees and publish online a comprehensive information on type of trees.	BIADA has to ensure compliance of recommendation with regards to survey of units as decided in the meeting of EoDB.

5.	359	Develop and make publicly available a comprehensive checklist, applicable procedure and timeline of all required pre-operation No Objection Certificates (NOCs), licenses, registrations and other mandatory State approvals required for starting business operations,	Only pre-establishment NOC is required, no pre-operation NOC is required for concerns related to Environment and Forest Department.
6.	361	Develop an online information wizard (one portal/functionality covering all categories/types of industries/businesses) to provide accurate information regarding all approvals, timelines, Procedure) applicable to establishing her/his business/industrial unit (Pre-operation)	This is not applicable in context of for the department of Environment and Forest as after establishment no pre-operation NOC is required.

उद्योग विभाग, बिहार के उक्त क्रमांक–1 से 6 तक अनुशंसाओं के इस विभाग के संदर्भ में Applicable नही होने के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार की अनुशंसा को अनुमोदित किया जाता है।

(ललन प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक वन विविध- 19/12 - 3484 दिनांक 01:11:2017

प्रतिलिपिः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा–सह–नोडल पदाधिकारी, वन संरक्षण/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ललन प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

विषय :– औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा प्रस्तावित बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान, 2017 की कंडिका संख्या–230 के आलोक में वृक्षों के पातन के विभिन्न मामलों में पुनः वृक्षारोपण संबंधी निदेश।

उपर्युक्त विषय के संबंध में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा प्रस्तावित बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान, 2017 की कंडिका संख्या–230 में उल्लेख है कि ''Department will Publish online the detailed information on applicable replanting requirements for plots with varying tree populations'' बिहार सरकार के प्रासंगिक संकल्पों एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत् वृक्षों के पातन के विरूद्ध पुनः वृक्षारोपण किये जाने का प्रावधान पूर्व से निर्धारित है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा प्रस्तावित बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान, 2017 की कंडिका संख्या–230 के आलोक में विषय–वस्तु की स्पष्टता हेतु उक्त प्रावधानों की निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है–

1. **रैयती भूमि पर वृक्षों के पातन के संबंध में–**

बिहार सरकार के संकल्प संख्या–2117, दिनांक–01.07.2002 द्वारा निजी/रैयती भूमि पर वृक्षों के पातन से प्राप्त काष्ट को जिला के अंदर परिवहन के लिए संबंधित पंचायत के मुखिया को परिवहन अनुज्ञापत्र निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। जिला के बाहर काष्ट परिवहन के लिए संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी से अनुज्ञापत्र लिये जाने का प्रावधान है।

शहरी क्षेत्रों के निजी भूमि मालिक द्वारा वृक्षों के पातन परिवहन के लिए संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी से अनुज्ञापत्र लेने का प्रावधान है।

उक्त सभी मामलों में पातित किये जाने वाले वृक्षों के बदले, पुनः वृक्षारोपण के लिए प्रावधान नहीं है।

2. **सरकारी (गैर वन भूमि) से वृक्षों के पातन/परिवहन के संबंध में–**

सरकारी गैर वन भूमि से वृक्षों के पातन के मामले में, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार द्वारा पूर्व निर्गत निर्देश के आलोक में पातित किये जाने वाले वृक्ष के बदले में तीन गुणा वृक्षों का रोपण कराया जायेगा तथा इस संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा बनाया गया वृक्षरोपण के प्राक्कलन के अनुरूप राशि जमा की जायेगी।

वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग तथा वृक्षों के पातन के संबंध में–

वन विभाग के द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुरूप दी जाती है, तथा उसी के अनुरूप वृक्षों के पातन की अनुमति दी जाती है।

वन भूमि के अपयोजन के मामले में क्षेत्रफल एवं वानस्पतिक घनत्व के अनुसार Net Present Value देय होता है। रैखिक वन भूमि अपयोजन के (1 हे0 से छोटे) मामलों में कम से कम 50 पौधों का रोपण या पातित वृक्षों के 10 गुणा वृक्षों का रोपण किया जाता है तथा तद्नुरूप संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्राक्कलन के अनुरूप राशि कैम्पा मद में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु जमा कराई जाती है।

इसके अलावा, वृक्षों के पातन/परिवहन के लिए भी राशि संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास जमा किया जाता है। प्रकाष्ट वन विभाग की सम्पत्ति होती है।

रैखिक वन भूमि के 1 हे0 से बड़े मामलों में दुगुने क्षेत्र में अवकृष्ट वन के रोपण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण, औषधीय वनरोपण तथा कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, वन्यप्राणी प्रबंधन आदि हेतु राशि ली जाती है।

प्राकृतिक वन भूमि के अपयोजन के मामलों में अपयोजित होने वाली भूमि के समतुल्य भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रावधान है।